सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र संख्या NCLT-13

[राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 के नियम 87 को देखें]

धारा 245 के अंतर्गत याचिका की सार्वजनिक सूचना

सूचना लें कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 245 के अंतर्गत दिनांक 28.02.2024 की एक वर्ग कार्रवाई याचिका, जो कंपनी याचिका संख्या 58 सन् 2024 है, श्री अंकित जैन, सुश्री रीना विरेन्द्र जैन और सुश्री रुचि जैन हनसोगे(सार्वजनिक अल्पसंख्यक शेयरधारक, जो संयुक्त रूप से जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड (JPFL) की शेयरधारिता का4.99% धारण करते हैं) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उक्त याचिकामें मुख्य आवेदक श्री अंकित जैन हैं। उस याचिका में प्रत्यर्थी JPFL, श्री श्याम कुमार जिंदल, सुश्री सुभद्रा जिंदल, श्री भावेश जिंदल, कंसोलिडेटेड फिनवेस्टएंड होल्डिंग्स लिमिटेड, कॉन्कैटेनेट एडवेस्ट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, सुश्री सोनल अग्रवाल, श्री संजीव अग्रवाल, श्रीराठी बिनोद पाल, श्री संजीव सक्सेना, श्री देविंदर कुमार रिठालिया, श्री विजेंदर कुमार सिंघल, श्री पुनीत गुप्ता, जिंदलइंडिया पावरटेक लिमिटेड, जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, श्री विनोद कुमार गुप्ता, कंपनी रजिस्ट्रार हैं।

उक्त याचिका धारा 245 में निर्धारित स्वीकृति संबंधी शर्तों को पूरा करती है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि आवेदनअपेक्षित संख्या में सदस्यों द्वारा किया गया है। धारा 245 की उप-धारा 4 और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 के अंतर्गत उल्लिखित विषय पर विचार करने के पश्चात् न्यायाधिकरण द्वारा 05.02.2026 को आवेदन स्वीकारकिया गया है। आवेदन 02.04.2026 को प्रातः 10:30 बजे या उसके पश्चात् पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारितकिया गया है।

याचिका निम्नलिखित आधारों पर दायर की गई है:

i. प्रत्यर्थियों ने JPFL के कोष का ऐसे तरीके से उपयोग किया है जो JPFL के सर्वोत्तम हित में नहीं है और JPFL केसार्वजनिक शेयरधारकों को हानि पहुंचाने के गुप्त उद्देश्य से प्रमोटरों को अत्यधिक कम मूल्यांकन पर निवेश कपटपूर्वकबेचे हैं।

ii. वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक जिंदल पावरटेक में 0% RPS और 0% OCPS की सदस्यतालेकर INR 703.79 करोड़ का निवेश, इस तथ्य के बावजूद कि जिंदल पावरटेक निरंतर नकद हानि से ग्रस्त था और उसेअनर्जक परिसंपत्ति घोषित किया गया था।

iii. वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिंदल पावरटेक और जिंदल थर्मल की नकारात्मक शुद्ध संपत्ति का हवाला देते हुए RPS और OCPS के संबंध में किए गए निवेश को प्रारंभ में राइट ऑफ करना, जबकि बाद में वित्तीय वर्ष 2020-21 औरवित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उनके संबंधित लेनदारों के बकाये के निपटान की दिशा में INR 410 करोड़ कीअतिरिक्त ऋण राशि प्रदान करना। जिंदल पावरटेक के ऋण का यह समाधान (INR 428.32 करोड़ के ऋण के विरुद्धINR 203 करोड़ के लिए) और जिंदल थर्मल का (INR 9431 करोड़ के ऋण के विरुद्ध INR 2541 करोड़ के लिए) उक्त कंपनियों को INR 7305 करोड़ (ऋणदाताओं की कटौती) के लाभ में परिणामित हुआ।

iv. वित्तीय वर्ष 2019-20 में OCPS की शर्तों में संशोधन और वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिंदल थर्मल में जिंदलपावरटेक द्वारा धारित कुछ रिडीमेबल वरीयता शेयरों की शर्तों में संशोधन।

v. जबकि JPFL द्वारा वित्तीय सहायता और OCPS तथा RPS की शर्तों में परिवर्तन और अंततः ऋणदाताओं की कटौतीके परिणामस्वरूप जिंदल पावरटेक और जिंदल थर्मल की शुद्ध संपत्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई, JPFL ने अपने निदेशकों केमाध्यम से कार्य करते हुए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त साधनों को मात्र INR 66.03 करोड़ (INR 440.20 करोड़ केवास्तविक मूल्य के विरुद्ध) और INR 39.53 करोड़ (INR 264 करोड़ के वास्तविक मूल्य के विरुद्ध) के अत्यल्पमूल्यांकन पर क्रमशः SSJ ट्रस्ट और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, जिससे लगभग INR 2,500 करोड़ की हानिहुई।

याचिका निम्नलिखित अनुतोष की मांग करती है:

a) SSJ ट्रस्ट (इसके न्यासियों प्रत्यर्थी संख्या 2 और प्रत्यर्थी संख्या 3 के माध्यम से) और प्रत्यर्थी संख्या 16 / जिंदलपॉली इन्वेस्टमेंट को ऐच्छिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों ("OCPS") और रिडीमेबल वरीयता शेयरों ("RPS") कीबिक्री को शून्य और निष्प्रभावी घोषित करें, और प्रत्यर्थी संख्या 1 की पुस्तकों में उक्त लेनदेन को वापस लें; यावैकल्पिक रूप से;

b) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे OCPS की बिक्री पर INR 2268.03 करोड़ की हानि के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 कोऔर आनुपातिक रूप से याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करें;

c) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे RPS की बिक्री पर INR 250.42 करोड़ की हानि के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 को औरआनुपातिक रूप से याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करें;

d) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड ("जिंदल थर्मल" / "प्रत्यर्थी संख्या 15") को ऋणकी अग्रिमता के कारण हुई हानि अर्थात् INR 127.96 करोड़ के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को और आनुपातिक रूप सेयाचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करें;

e) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे जिंदल इंडिया फिल्म्स लिमिटेड (प्रत्यर्थी संख्या 1 की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायककंपनी) द्वारा चंपक निकेतन को जिंदल थर्मल / प्रत्यर्थी संख्या 15 के इक्विटी शेयरों की कम मूल्यांकन पर बिक्री केकारण हुई हानि अर्थात् INR 135.34 करोड़ के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 / जिंदल पॉली को और आनुपातिक रूप सेयाचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करें;

f) प्रत्यर्थियों को जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड ("जिंदल पावरटेक" / "प्रत्यर्थी संख्या 14") और जिंदल थर्मल / प्रत्यर्थी संख्या 15 के OCPS और RPS या किसी अन्य प्रतिभूतियों के साथ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी रीति से, जिसमें हस्तांतरण, बिक्री, मोचन, किसी भी तरीके से निपटान, या भार का सृजन शामिल है परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, व्यवहार करने से प्रतिबंधित करें;

g) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी और याचिकाकर्ताओं को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में(जैसा कि पैराग्राफ 8 में उल्लिखित है) उपरोक्त पैरा (b) से (e) में संदर्भित लेनदेन के संबंध में इस माननीयन्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित अनुसार, संबंधित हानि की तिथि से 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज सहित क्षतिपूर्ति प्रदानकरें;

h) कंपनी के स्वतंत्र मूल्यांकक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दें, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से जिंदलपावरटेक / प्रत्यर्थी संख्या 14 और उसके ऋणदाताओं के बीच निष्पादित एक बारगी निपटान पर विचार किए बिनाजिंदल पावरटेक / प्रत्यर्थी संख्या 14 के शेयरों का मूल्यांकन किया और इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को गलत या भ्रामकविवरण की सलाह दी;

i) प्रत्यर्थियों को प्रत्यर्थी संख्या 1 और उसके सार्वजनिक शेयरधारकों के मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप कोई भी कदमउठाने से प्रतिबंधित करें;

j) इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायाधिकरण की अनुमति चाहते हैं कि यदि परिस्थितियाँ इस प्रकार कीअपेक्षा करती हैं, तो बाद के चरण में याचिका में जोड़ने या संशोधन करने की अनुमति दी जाए;

k) अधिनियम की धारा 245 के अंतर्गत उपयुक्त आदेश, अनुतोष, निर्देश पारित करें ताकि उपरोक्त कृत्यों को समाप्तकिया जा सके जो कंपनी और उसके शेयरधारकों के हित के प्रतिकूल हैं और इसके संबंध में आवश्यक आदेश औरअनुतोष के लिए, जिसमें यहां प्रार्थना की गई है; और

l) ऐसे अन्य और/या अतिरिक्त आदेश पारित करें जो माननीय न्यायाधिकरण उचित और समुचित समझे।

इस वर्ग कार्रवाई याचिका के उद्देश्य के लिए वर्ग के सदस्यों का अर्थ JPFL के गैर-प्रमोटर अल्पसंख्यक सार्वजनिकशेयरधारक होंगे, जो इसके 25.46% शेयरधारकों का गठन करते हैं। यदि आप उस वर्ग से संबंधित हैं जिसके संबंध मेंयह आवेदन दायर किया गया है, तो आप इस आवेदन के परिणाम से बाध्य होंगे, जब तक कि आप न्यायाधिकरण कीअनुमति के अधीन, सुनवाई की अगली तिथि तक प्रासंगिक प्रपत्र, प्रपत्र NCLT-1, उपरोक्त नियमों के परिशिष्ट-B मेंउल्लिखित ऐसे दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करके कार्यवाही से बाहर निकलने का निर्णय नहीं लेते: ब्लॉक संख्या 3, भूतल, 6वीं, 7वीं मंजिल एवं 8वीं मंजिल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003।

दिनांक: 06.02.2026
स्थान: नई दिल्ली
हस्ता०/-
हस्ताक्षर: (रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ)

Public Notice

FORM NO. NCLT-13

[see Rule 87 of National Company Law Tribunal Rules, 2016]

Public Notice of petition under Section 245

Take notice that a class action petition under section 245 of the Companies Act, 2013 dated 28.02.2024, being Company Petition No. 58 of 2024, was presented by Mr. Ankit Jain, Ms. Rina Virendra Jain and Ms. Ruchi Jain Hanasoge (public minority shareholders, cumulatively holding 4.99% of the shareholding of Jindal Poly Films Limited (JPFL)), before Principal Bench, National Company Law Tribunal. The lead applicant in the said petition is Mr. Ankit Jain.

The respondents in that petition are JPFL, Mr. Shyam Kumar Jindal, Ms. Subhadra Jindal, Mr. Bhavesh Jindal, Consolidated Finvest & Holdings Limited, Concatenate Advest Advisory Private Limited, Ms. Sonal Agarwal, Mr. Sanjeev Aggarwal, Mr. Rathi Binod Pal, Mr. Sanjeev Saxena, Mr. Devinder Kumar Rithaliya, Mr. Vijender Kumar Singhal, Mr. Punit Gupta, Jindal India Powertech Limited, Jindal India Thermal Power Limited, Jindal Poly Investment and Finance Company Limited, Mr. Vinod Kumar Gupta, Registrar of Companies.

The said petition / satisfies the admission related conditions stipulated in section 245, including the condition that the Application has been made by the requisite number of members. The Application has been admitted on 05.02.2026 by the tribunal after considering the matter stated under sub section 4 of Section 245 and the National Company Law Tribunal Rules, 2016. The Application is fixed for hearing before the Bench on 02.04.2026 at 10:30 a.m. or from thereafter. The petition has been filed on the following grounds:

i. The Respondents have utilized JPFL's funds in a manner which is not in the best interest of JPFL and have fraudulently sold investments to the promoters at grossly undervalued valuations with an oblique motive to cause loss to the public shareholders of JPFL. **ii.** Investment of INR 703.79 crores In Jindal Powertech from FY 2013-14 to FY 2016-17 by subscribing 0% RPS and 0% OCPS, despite the fact that Jindal Powertech was suffering a continuous cash loss and had been declared a non-performing asset. **iii**. Initially writing off the investment made in relation to RPS and OCPS in FY 2018-19, citing negative net worth of Jindal Powertech and Jindal Thermal, while subsequently providing further loan to them to the tune of INR 410 crores during FY 2020-21 and FY 2021-22 towards settlement of the dues of their respective creditors. This resolution of debt of Jindal Powertech (for INR 203 crores against a debt of INR 428.32 crores) and of Jindal Thermal (for INR 2541 crores against a debt of INR 9431 crores) resulted in benefit to the said companies to the tune of INR 7305 crores (Lenders' Haircut). **iv.** Modification of terms of the OCPS in FY 2019-20 and modifications of terms of certain redeemable preference shares held by Jindal Powertech in Jindal Thermal in FY 2021-22. **v**. While the financial assistance by JPFL and the change in terms of OCPS and RPS and ultimately the Lenders' Haircut led to substantial increase in the net worth of Jindal Powertech and Jindal Thermal, JPFL, acting through its directors, sold the said instruments in FY 2021-22, at a squat valuation of mere INR 66.03 crores (against actual worth of INR 440.20 crores) and INR 39.53 crores (against actual worth of INR 264 crores) to SSJ Trust and Jindal Poly Investment respectively, thereby causing a loss to the tune of INR 2,500 crores approximately. The petition seeks the following relief:

a) Declare the sale of Optionally Convertible Preference Shares ("OCPS") and Redeemable Preference Shares ("RPS") to SSJ Trust (through its trustees Respondent No. 2 and Respondent No. 3) and Respondent No.16 / Jindal Poly Investment as being null and void, and reverse the said transactions in the books of the Respondent No.1; or in the alternative; **b)** Direct the Respondents to compensate Respondent No. 1 with respect to loss on sale of OCPS amounting to INR 2268.03 crores and proportionately to the Petitioners; **c)** Direct the Respondents to compensate Respondent No. 1 with respect to loss on sale of RPS i.e., INR 250.42 crores and proportionately to the Petitioners; **d)** Direct the Respondents to compensate Respondent No.1 for the loss caused due to the advancement of loan to Jindal India Thermal Power Limited ("Jindal Thermal" / "Respondent No. 15" i.e., INR 127.96 crores and proportionately to the Petitioners; **e)** Direct the Respondents to compensate Respondent No.1 / Jindal Poly on the loss caused due to undervalued sale of equity shares of Jindal Thermal / Respondent No. 15 to Champak Niketan by Jindal India Films Limited being the wholly owned subsidiary of Respondent No.1 i.e., INR 135.34 crores and proportionately to the Petitioners; **f)** Restrain the Respondents from dealing with the OCPS and RPS or any other securities of Jindal India Powertech Limited ("Jindal Powertech" / "Respondent No. 14" and Jindal Thermal / Respondent No. 15, directly or indirectly, in any manner whatsoever, including without limitation, transfer, sale, redemption, disposal in any manner, or creation of encumbrances; **g)** Direct the Respondents to compensate the Respondent No.1 Company and the Petitioners in proportion to its shareholding (as mentioned in paragraph 8) with respect to the abovementioned transactions referred in para (b) to (e) along with the interest at the rate of 12% per annum compounding from the date of respective loss, as may be determined by this Hon'ble Tribunal; **h)** Direct disciplinary action against Independent Valuer of the Company for allegedly valuing the shares of Jindal Powertech / Respondent No. 14 without considering the one-time settlement executed between the Jindal Powertech / Respondent No. 14 and its lenders and therefore advised incorrect or misleading statement to Respondent No. 1; **i)** Restrain the Respondents from taking any steps which would result in the diminishing of value in the Respondent No. 1 and its public shareholders; **j)** Further, the Petitioners crave leave of this Hon'ble Tribunal to add to or amend the petition at a later stage, if the circumstances so warrant; **k)** Pass appropriate orders, reliefs, directions under section 245 of the Act to bring to an end the aforesaid acts which are prejudicial to the interest of the Company and its shareholders and for necessary orders and reliefs in respect thereto, including as prayed for herein; and **l)** Pass such other and/or further orders as the Hon 'ble Tribunal may deem fit and proper. The members of the class for the purpose of this class action petition shall mean the non-promoter minority public shareholders of JPFL, constituting 25.46 % of its shareholders. If you belong to the class in relation to which this Application has been filed, you will be bound by the outcome of this Application, unless you decide to opt-out from the proceedings by submitting the relevant form, Form NCLT-1, along with such documents mentioned in Annexure-B of the above mentioned rules by the next date of hearing to the following address Block No. 3, Ground, 6th, 7th Floor & 8th floor, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003, subject to the Tribunal's permission.

SD/-
Signature:
(Registrar, National Company Law Tribunal, Principal Bench)
Date: 06.02.2026
Place: New Delhi